न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

बइजलास पंकज गढ़वाल R.A.S.

वाद संख्या- 165/2019

निर्णय दिनांक- 6.11.2020

रणवीर पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी ल्हसेडी तहसील राजगढ़ जिला चूरू
– वादी

बनाम

1. निहाल सिंह पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी ल्हसेडी तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहेब राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू
– प्रतिवादीगण

3. जगवीर पुत्र निहालसिंह
4. मीना] पुत्रियाँ निहालसिंह
5. इन्द्रा]

] जाति जाट निवासी ल्हसेडी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– गौण प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणात्मक खातेदारी व प्राप्त कब्जे चिरस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

—

उपस्थित :-

1. श्री बजरंगलाल अधिवक्ता वास्ते वादी
2. " राजेश शर्मा अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी सं. 3 से 5.

निर्णय

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act. का विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 72, 80, 86, 88, 172, 214 व 223 कुल तादादी 134 बीघा 14 बिश्वा वाके रोही ल्हसेडी तहसील राजगढ़ जिला चूरू की सह खातेदारी की रही है जिसमें वादी व गौण प्रतिवादी के दादा व प्रतिवादी

-2-

संख्या 1 के पिता सुखराम 1/2 हिस्सा का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रहा है। वादी व गौणप्रतिवादी के दादा व प्रतिवादी सं. 1 के पिता सुखराम की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि में स्थित सुखराम का 1/2 हिस्सा सुखराम के वारिसान मु. समाकोर पत्नी सुखराम धनपत, रामकुमार व निहालसिंह पुत्रगण सुखराम के जरिए नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 18.3.2006 को दर्ज हुआ है। उक्त गत खसरा नम्बर की कृषि भूमि के हाल ख.न. 117 तादादी 5.17 है० ख.न. 131 तादादी 10.65 है० ख.न. 138 तादादी 2.27 है० ख.न. 140 तादादी 0.43 है० ख.न. 254 तादादी 4.94 है० ख.न. 326 तादादी 7.68 है० ख.न. 336 तादादी 2.92 है० कुल तादादी 34.06 है० वाके रोही लसेड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू बने है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 निहालसिंह 1/6 हिस्सा का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। यही विवादित कृषि भूमि है उक्त विवादित कृषि भूमि वादी व गौण प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक मौरूसी जायदाद है। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने पिता व वादी व गौणप्रतिवादीगण के दादा की मृत्यु के बाद गलत कुर्सीनामा तैयार कर प्रतिवादी सं. 1 ने गलत रूप से अपने व समाकोर, धनपत व रामकुमार के नाम करवा ली जबकि उक्त विवादित कृषि भूमि में वादी व गौणप्रतिवादीगण का भी दादालाई कृषि भूमि होने के कारण जन्मजात हक हिस्सा है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व गौणप्रतिवादीगण हिन्दू खानदान के सदस्य है जो हिन्दू-धर्म को मानने वाले है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा पद्धति से शासित है। इस कारण उक्त विवादित कृषि भूमि में वादी व गौणप्रतिवादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा रहा है जिस कारण वादी व गौणप्रतिवादीगण उक्त विवादित कृषि भूमि में स्थित प्रतिवादी सं. 1 के हक हिस्सा में ब. हि. ब. 1/5 - 1/5 हिस्सा के हकदार व खातेदार है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 के 1/6 हिस्सा में अपना 1/5 अर्थात सम्पूर्ण कृषि भूमि में अपना 1/30 हिस्सा को अपने हक में घोषित कराने का अधिकारी है जिस हेतु वादी द्वारा यह घोषणात्मक वाद पेश किया गया है आदि-आदि पेश कर घोषणा व चिरस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नियमानुसार तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी सं. 3 से 5 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आये व प्रतिवादी सं. 1 व गौणप्रतिवादी सं. 3 की ओर से इकबाल दावा पेश किया गौणप्रतिवादी सं. 4,5 का जवाब बन्द किया गया। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2073-76, नामान्तरकरण सं. 279, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2062-81, जमाबन्दी सम्वत 2058-61, जमाबन्दी सम्वत 2065-68 व सम्वत 2054-57 की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ पेश की है। [illegible] कोई [illegible] पेश नहीं किया गया है इस लिए

विवाद्यक विरचित नहीं किये गये। राजहित प्रभावित होने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रस्तुत दस्तावेजात से वादगत विवादित कृषि भूमि पैतृक सम्पति होना प्रमाणित है। अतः वाद वादी घोषणा की हद तक स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादी प्रमाणित पाया जाने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषित किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि ख० न० 117 तादादी 5.17 है० ख.न. 131 तादादी 10.65 है० ख.न. 138 तादादी 2.27 है० ख०न० 140 तादादी 0.43 है०, ख०न० 254 तादादी 4.94 है० ख०न० 326 तादादी 7.68 है० ख०न० 336 तादादी 2.92 है० कुल तादादी 34.06 है० वाके रोही लसेड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित प्रतिवादी सं.1 निहाल सिंह के 1/6 हिस्सा में वादी व गौणप्रतिवादीगण 1/5 - 1/5 हिस्सा अर्थात समस्त कृषि भूमि में 1/30 - 1/30 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)